प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 17.04.2025

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 16.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 490 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-212 , ट्रांस हिंडन जोन-139 , तथा ग्रामीण जोन-139 कुल -490 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 60 हजार की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 16.04.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा 02 आवेदकों 1. चन्द्रदत्त सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद 2. धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर खेड़ा थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि क्रमशः 30,000/- व 30,000/ रूपये को आवेदकों को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक चन्द्रदत्त व धर्मेन्द्र के साथ 30-30 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदकों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 16.04.2025 को

आवेदकों के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदकों द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 17.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त सौरभ पुत्र स्व बबलू निवासी नागलोई सुल्तानपुरी 908 डी ब्लाक डी 6 थाना मंगोलपुरी दिल्ली हाल पता म0न0 954 लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को जल प्लांट रोड रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं चोरी-छिपे दिल्ली से गांजा लाकर उसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को चोरी-छिपे बेचकर अपने शौक पूरे करता हूं। आज भी मैं चोरी-छिपे गांजा लेकर आ रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सौरभ पुत्र स्व बबलू निवासी नागलोई सुल्तानपुरी 908 डी ब्लाक डी 6 थाना मंगोलपुरी दिल्ली हाल पता म0न0 954 लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अवैध गांजा से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना विजयनगर साइबर सेल पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 70,000/- रूपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 16.04.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक अंकित चौरसिया नि0 के-164 रेलवे कालोनी राहुल विहार प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 70000/- रूपये को आवेदकों को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक अंकित चौरसिया नि0 के-164 रेलवे कालोनी राहुल विहार प्रताप विहार के साथ 70,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदकों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 16.04.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल ।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की हुई ज्वैलरी(कीमत लगभग 8 लाख रुपये) बरामद।

दिनांक 16.04.2025 थाना टीलामोड़ पर वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र पीतम सिह निवासी सी 46 कृष्णा विहार कुटी निकिता इन्टर कॉलेज भोपुरा गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के घर में घुसकर किसी अज्ञात द्वारा ज्वैलरी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 305/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके क्रम में दिनांक 16.04.2025 को ही थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पथिक पब्लिक स्कूल के पास से वादी के घर में घुसकर चोरी करने वाले 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से चोरी की हुई पीला धातु की कान की 02 टाप्स, 01 गले का ओम, 01 गले की चैन, 01 टीका, 02 चूड़ी, 01 नाक की नथनी, 01 गले का हार, 02 कान के कुण्डल मय सफेद मोती व सफेद धातु के 05 जोड़ी बच्चो के कड़े, 01 जोड़ी बच्चों के पैर के कड़े, 06 नग बच्चों के चाँद सूरज, 04 जोड़ी बिछुए, 8.5 जोड़ी तोड़िया/पाजेब, 01 कमर का कोंधनी कुल ज्वैलरी की कीमत लगभग 8 लाख रुपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रौड बरामद हुई। हिरासत में लिए गए बाल अपचारी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

पीला धातु की कान की 02 टाप्स, 01 गले का ओम, 01 गले की चैन, 01 टीका, 02 चूड़ी, 01 नाक की नथनी, 01 गले का हार, 02 कान के कुण्डल मय सफेद मोती व सफेद धातु के 05 जोड़ी बच्चो के कड़े, 01 जोड़ी बच्चों के पैर के कड़े, 06 नग बच्चों के चाँद सूरज, 04 जोड़ी बिछुए, 8.5 जोड़ी तोड़िया/पाजेब, 01 कमर का कोंधनी कुल ज्वैलरी की कीमत लगभग 8 लाख रुपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रौड बरामद।

हिरासत में लिए गए बाल अपचारी का आपराधिक इतिहासः-

हिरासत में लिए गए बाल अपचारी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पीडित को डरा-धमकाकर तथा तमन्चे के बल पर रूपये ऐंठने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 17.04.25 को वादी श्री प्रियान्शु चौधरी s/0 श्री मंगल सिह निवासी एस एम 52 एम ब्लाँक शास्त्रीनगर गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. शास्वत 2. रिशभ व अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ मारपीट कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तमंचा दिखाकर वादी से फोन का पासवर्ड पता कर वादी के खाते से 98000/- रूपये अपने खाते मे ट्रांसफर कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

थाना कविनगर की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शास्वत सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी सी-393 भू-तल स्वर्ण जयन्ती पुरम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद व अभियुक्त ऋशभ चौधरी पुत्र स्व0 संजीव कुमार तोमर निवासी एफ -34 ए 12 ग्राउन्ड फ्लोर मटियाला रोड के बगल मे किरायेदार थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों की तलाशी लेने पर ऋषभ के पास से एक तमंचा बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरणः- शाश्वत व ऋषभ ने पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त सिद्धार्थ निवासी राकेश मार्ग ने ग्राइन्डर ऐप से वादी प्रियांशु निवासी शास्त्रीनगर से दोस्ती की थी। उसे दिनांक 14.04.25 को गोविन्दपुरम में यश चौहान उर्फ गुन्नु के मकान पर मिलने बुलाया, जिसे रास्ते से शाश्वत अपने साथ लेकर गुन्नु के मकान पर गया। जहां सिद्धार्थ व यश तथा अपने अन्य साथियों के साथ प्रियांशु को धमकाया तथा ऋषभ द्वारा तमन्चा दिखाकर उसे नग्न कर वीडियो बनायी गई तथा उसे धमकाकर उसके फोन का पासवर्ड पताकर शाश्वत ने उसके आईफोन में मौजूद STAKE गेमिंग एप्प में मैनें व मेरे साथियो ने प्रियाशु के मोबाईल से यूपीआई के जरिये 98000/-रुपये ट्रासंफर किये थे तथा बाद मे STAKE गेमिंग एप्प से अपने कोटक महेन्द्रा बैंक के खाते संख्या 2149475220 जिसका आई एफ सी कोड KKBK0000677 है में ट्रांसफर कर लिये थे। तथा 4000/- रुपये यश चौहान उर्फ गुन्नू जोकि मेरा दोस्त है ने अपने गेमिंग एप्प से गेम खेलने मे खर्च कर दिये थे। इसके बाद मैनें बाकी पैसे अपने दूसरे दोस्तो के खातो में भेज दिये थे।

बरामदगी-

1.एक तमंचा

2.मोवाईल आई फोन रंग सफेद

3.एक स्कूटी

अभियुक्त का नाम पता-

1.शास्वत सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी सी-393 भू-तल स्वर्ण जयन्ती पुरम थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद

2.ऋशभ चौधरी पुत्र स्व0 संजीव कुमार तोमर निवासी एफ -34 ए 12 ग्राउन्ड फ्लोर मटियाला रोड के बगल मे किरायेदार थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ऑटो रिक्शा बरामद।

दिनांक 17.04.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कौशाम्बी बस स्टैण्ड गेट न0-1 के सामने से 01 अभियुक्त जामवन्त मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी टीका मिस पुरवा थाना परसपुर जिला गोण्डा उम्र करीब 38 वर्ष को चोरी का 01 ऑटो रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जामवन्त मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछाताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त जामवन्त मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 15.04.2025 को आनन्द विहार रेलवे स्टेशन की पार्किंग से यह ऑटो रिक्शा चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त आज इस ऑटो रिक्शा को बेचने के लिए जा रहा था। अभियुक्त उपरोक्त नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिये चोरी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जामवन्त मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी टीका मिस पुरवा थाना परसपुर जिला गोण्डा उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी का 01 ऑटो रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त जामवन्त मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड व आनन्द विहार ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली में चोरी का माल बरामद होने व चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।